



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122020-223874  
CG-DL-E-22122020-223874

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2020/पौष 1, 1942

No. 653]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2020/PAUSHA 1, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

सं. 93/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 785(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 73/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29 दिसंबर, 2017, जिसे सा.का.नि.1600(अ), दिनांक 29 दिसंबर, 2017, के तहत, भारत के राजपत्र, आसाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनका मूल कारोबार स्थान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए देरी से प्रस्तुत की गयी विवरणी प्ररूप जीएसटीआर-4 के लिए, संदेय विलम्ब फीस को नवंबर 2020 के पहले दिन से दिसम्बर 2020 के 31वे दिन तक अधित्यक्त किया जाता है।”

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

**नोट :** मूल अधिसूचना संख्या 73/2017-केन्द्रीय कर दिनांक 29 दिसंबर, 2017 को सा.का.नि. 1600(अ), दिनांक 29 दिसंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, आसाधारण, में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 67/2020- केन्द्रीय कर, दिनांक 21 सितंबर 2020, जिसे सा.का.नि. 572(अ), दिनांक 21 सितंबर 2020 के तहत भारत के राजपत्र, आसाधारण में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd December, 2020

**No. 93/2020-Central Tax**

**G.S.R. 785(E).**—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 73/2017– Central Tax, dated the 29th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1600(E), dated the 29th December, 2017, namely :—

In the said notification, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided also that the late fee payable for delay in furnishing of **FORM GSTR-4** for the Financial Year 2019-20 under section 47 of the said Act, from the 1<sup>st</sup> day of November, 2020 till the 31<sup>st</sup> day of December, 2020 shall stand waived for the registered person whose principal place of business is in the Union Territory of Ladakh.”.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

**Note :** The principal notification No. 73/2017-Central Tax, dated 29th December, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 1600(E), dated the 29th December, 2017 and was last amended vide notification number 67/2020–Central Tax, dated the 21st September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 572(E), dated the 21st September, 2020.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

**सं. 94/2020-केन्द्रीय कर**

**सा.का.नि. 786(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौदहवाँ संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017** (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 8 में, उपनियम (4क) के स्थान पर, अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होने के साथ, निम्नलिखित उपनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-